

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्राशि/बजट/बी-7/9907/2018-19/

दिनांक:- 1-5-2018

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
पंचायत समिति:- रावतसर/जवाजा

विषय:- चिकित्सामद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके मांग-पत्र के क्रम में मांग संख्या-24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (01)-उप्रावि (बालक), [02]-बालको के विद्यालय का संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध, 04-चिकित्सा व्यय (राज्य निधि) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये निम्नानुसार कार्यालयों को गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2008/2013 के तहत प्रकरण की जांच करने के उपरांत ही नियमानुसार किया जावे।

क्र० सं०	ऑफिस आई.डी.	बीईईओ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में।	विशेष विवरण
1.	26054	रावतसर (हनुमानगढ)	396020 / -	श्रीमति रेखा जोशी अध्यापिका राउप्रावि उतरादाबास, रावतसर के पति श्री नरेन्द्र जोशी के लीवर उपचार पर व्यय हुए पुनर्भरण हेतु।
2.	1406	जवाजा (अजमेर)	296663 / -	श्री दौलत सिंह शारीरिक शिक्षक राउप्रावि जवाजा के किडनी रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु।
		योग:-	692683 / -	

(अखरे रूपये अखरे रूपये छः लाख बरानवे हजार छः सौ तिरयासी)


वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 5 (थ-75) कोष/IFMS/ कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.13 के तहत IFMS अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 01 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक माह की 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 03 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।


मुख्य लेखाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमति.....
5. रक्षित पत्रावली।


मुख्य लेखाधिकारी